राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम

प्रस्तावनाः

- संसार में लगभग 1.5 बिलियन व्यक्ति आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों (Iodine Deficiency Disorders – IDD) से पीड़ित हैं।
- विश्व भर में यह माना गया है कि आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग करने से आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से बचा जा सकता हैं। भारत विश्व में आयोडीन की कमी से प्रभावित प्रमुख राष्ट्रों में से एक हैं।
- आई.सी.एम.आर. द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि कोई राज्य ऐसा नहीं है जहॉ आई.डी.डी. से प्रभावित व्यक्ति न हो।
- एक सर्वेक्षण में भारत में 28 राज्यों के 324 जिलों एवं 7 यूनियन टैरेटरिज में से 263 जिले आई.डी.डी. से प्रभावित पाये गये।
- सन् 1992 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम रख दिया। इसी वर्ष राज्य सरकार ने 5 दिसम्बर 1992 को आदेश जारी कर पी.एफ.ए. अधिनियम 1954 के अन्तर्गत आयोडीन रहित खाने योग्य नमक के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
- राज्य में 1993–94 में इस कार्यक्रम की शुरूआत निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में आई.डी.डी. सैल की स्थापना के साथ की गई।

नमक के आयोडीनिकीकरण की योजनाः–

- भारत सरकार ने सन् 1954 में प्रोफेसर वी. रामालिंगास्वामी द्वारा अनुसंधान कराया गया। तब यह पता चला कि घेंघा रोग भारत में सभी राज्यों में पाया जाता है।
- भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1962 में राष्ट्रीय घेंघा नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की महत्वता को देखते हुए सन् 1986 में इसे प्रधानमंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया।
- सन् 1988 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करके उसमें इस नियम को शामिल किया गया कि उत्पादन स्तर पर नमक में आयोडीन की मात्रा 30 पी.पी.एम. व फुटकर बिक्री के समय 15 पी.पी.एम. से कम नहीं होनी चाहिए।

आयोडीन की शरीर में आवश्यकताः–

आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु 150 माईक्रोम आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती हैं। यह माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, वनों के उजड़ने से खाद्य पदार्थों में आयोड़ीन की मात्रा कम हो गई हैं। इसकी पूर्ति नियमित रूप से आयोडीनयुक्त नमक के सेवन से हो सकती हैं। आयोडीन को नमक में मिलाने से गंध, स्वाद व रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं। आयोडनी को सिर्फ नमक में इसलिये मिलाया जाता है कि क्योंकि नमक में आयोडीन मिलाने का खर्चा बहुत कम होता हैं और हर तबके अर्थात गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति रोजाना नमक का सेवन करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में गर्भपात व वयस्कों में ऊर्जा की कमी, जल्दी थकावट आदि विकार भी आयोडीन की कमी से हो सकते हैं।

कार्यक्रम का लक्ष्यः राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य घेंघा रोग की दर ऐनडेमिक जिलों में 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

1. सर्वे द्वारा आई.डी.डी. के MAGNITUDE की जानकारी रखना।
2. साधारण नमक के स्थान पर आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
3. पाँच वर्ष पश्चात् पुनः सर्वे के द्वारा आई.डी.डी. का सर्वे करवाना एवं आयोडीनयुक्त नमक के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।
4. प्रयोगशाला में मूत्र एवं आयोडीनयुक्त नमक में आयोडिन की मात्रा की जाँच करना।
5. स्वास्थ्य शिक्षा देना।

संगठनात्मक ढाँचाः इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा एक तकनीकि अधिकारी, एक सांख्यिकी सहायक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक लैबोरेटरी टैक्नीशियन तथा एक लैब असिसटेंट का पद स्वीकृत हैं। इस कार्यक्रम को राज्य में सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के प्रभारी वर्तमान में निदेशक (जन स्वा.) हैं जिनकी सहायता करने हेतु अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0) के अधीन नोडल अधिकारी हैं। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के संचालन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया गया हैं।

भौतिक उपलब्धियाँ–

वर्ष	एफ.एस.एस. एक्ट के अन्तर्गत लिये गये नमूने	आयोडीन रहित पाये गये नमूने	नॉन. एफ.एस.एस. एक्ट के अन्तर्गत लिये गये नमूनों की संख्या		
			आयोडीन रहित	15 पी.पी.एम. से कम	15 पी.पी.एम. से अधिक
2014	252	सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य– 31	4637	60895	198414
2015	323	सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य– 36	2208	37502	156339
2016	261	सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य– 30	2477	25771	127226
2017	164	सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य– 16	2610	70694	369898
2018 (मार्च तक प्राप्त)	46	सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य– 09	746	8255	56505

स्वास्थ्य शिक्षा और प्रस्तावित गतिविधियाँ–

वर्ष	वृहद सभाओं की संख्या	ग्रुप सभाओं की संख्या	स्कूलों में आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की संख्या	आई.ई.सी. गतिविधियाँ
2014	14929	24125	12922	6310
2015	11849	16697	9414	8492
2016	13467	15599	9928	5472
2017	10402	13718	8392	4917
2018 (मार्च तक प्राप्त)	2581	3857	2086	1428

प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को राज्य के समस्त जिलों में ग्लोबल आई.डी.डी. दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाऐं, रैली, प्रतियोगिताऐं आदि का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर जयपुर शहर के स्लम एरिया में आर. सी.एच. सेन्टर एवं डी हैल्थ सेन्टर के प्रभारियों के सहयोग से चयनित स्कूली बच्चों को कठपुतली शो एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक की उपयोगिता हेतु जागरूक किया जा रहा हैं।

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान देश में नमक का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसलिये क्षेत्रिय नमक आयुक्त कार्यालय की स्थापना जयपुर में की गयी। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत् राज्य में नमक निर्माता, नमक विक्रेता, नमक ट्रांसपोर्टर को आयोडीन के बारे में जागरूकता हेतु जोन–अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं फलौदी (जोधपुर), नावां (नागौर) में कार्यशाला आयोजित की गई जिनमें नमक व्यापारियों को भी शामिल किया गया।

एफएसएसए एक्ट में नमक के लिये गये एवं जॉच किये गये नमूनों के अनुसार राजस्थान राज्य में 86 प्रतिशत आयोडीनयुक्त नमक मानक स्तर का पाया गया हैं।

वर्ष 2017 की स्थिति	**भावी कार्य योजना**
राजस्थान राज्य में वर्ष 2017 (दिसम्बर तक प्राप्त) में एफएसएसए एक्ट के तहत् 164 नमूनें लिये गये जिनमें से सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य –16 पाये गये। नॉन एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2017 (दिसम्बर तक प्राप्त) में कुल 443202 नमूनें लिये गये, जिसमें से आयोडीन रहित–2610, 15 पीपीएम से कम–70694 एवं 15 पीपीएम से अधिक–369898 नमूने पाये गये।	नमक उत्पादक फैक्ट्रीरियों की जांच कर सम्पूर्ण नमक में आयोडीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जिससे कि विक्रय हेतु आयोडीनयुक्त नमक ही उपलब्ध हो।
वर्ष 2018 की स्थिति	**भावी कार्य योजना**
राजस्थान राज्य में वर्ष 2018 (मार्च तक प्राप्त) में एफएसएसए एक्ट के तहत् 46 नमूनें लिये गये जिनमें से सब स्टैन्र्डड/अनसेफ/मिस ब्रान्डेड/अन्य–09 पाये गये। नॉन एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2018 (मार्च तक प्राप्त) में कुल–65506 नमूनें लिये गये, जिसमें से आयोडीन रहित–746, 15 पीपीएम से कम–8255 एवं 15 पीपीएम से अधिक–56505 नमूने पाये गये।	नमक उत्पादक फैक्ट्रीरियों की जांच कर सम्पूर्ण नमक में आयोडीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना जिससे कि विक्रय हेतु आयोडीनयुक्त नमक ही उपलब्ध हो।